

554

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं०- 2/वि60-89/2015-...../

पटना, दिनांक.....2017

सेवा में,  
महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश संख्या 711 दिनांक 15.03.2017 के द्वारा गैर योजना बजट शीर्ष "2205- कला एवं संस्कृति-102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" विपत्र कोड-एन.2205001020001 मांग संख्या-8 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं विपत्र संख्या 99/16-17, कोषागार प्रमाणक संख्या-पी/2205/00094 दिनांक 31.03.2017 के माध्यम से निकासी की गयी राशि 43,45,000/- (तेतालीस लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र में से अव्यवहृत राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार रूपये) मात्र राजकोष में वापसी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत

- राजकोष में राशि की वापसी मांग सं०-08 के अधीन बजट शीर्ष 2205- कला एवं संस्कृति-911-घटाएं-अधिक अदायगियों की वसूलियाँ-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी, विपत्र कोड 082205009110002 के अंतर्गत होगा।
- राशि की वापसी अवर सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से की जायेगी।
- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-711 दिनांक-15.03.2017 (प्रति संलग्न) के अनुलग्नक के क्रमांक-45 पर अंकित "बुद्धा विज्डम वर्ल्ड सोसाइटी" को स्वीकृत राशि 30,000/- (तीस हजार रूपए) मात्र संस्था द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण राशि राजकोष में वापसी की स्वीकृति दी गयी है।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(तारानन्द महतो वियोगी)  
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक ...../2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
(तारानन्द महतो वियोगी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 306./ पटना, दिनांक 28/8/2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(तारानन्द महतो वियोगी)  
सरकार के उप सचिव।